तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इन्तिज़ामिया जज	नम्बर अहकाम की तामील
17/02/25	मु०उप०नि० मिसिल पुकार के पेश हुआ सरकार बुलाया गया; आ०मी० हो। पत्रावली पेश हो सुनवाई हेतु बाद पूर्ति दाखिल रजिस्टर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:56:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
22 / दावा / 2023	04.04.2023	हरबिन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0

(1) भंवर सिंह

(2) महावीर पिसरान स्व0 चौथमल जाति राजपूत निवासीगण ग्राम अजेता तहसील रायथल जिला बून्दी राजस्थान।

—वादीगण

—बनाम—

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, बून्दी हाल रायथल जिला बून्दी।

—प्रतिवादी

वाद—घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 रा0टि0एक्ट व धारा 136 ले0रे0एक्ट

निर्णय

दिनांक—17.02.2025

उपस्थित— वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री सुरेश मेघवंशी।
प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार।

वाद—पत्र वादीगण द्वारा पेश किया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है किकृषि भूमि खाता संख्या नया 251 पुराना 85 की कृषि भूमि ख०सं० 312 रकबा 0.5665 हे० वाके ग्राम अजेता पटवार हल्का अजेता तहसील व जिला बून्दी मे स्थित है जिसमें 1. भंवर सिंह पुत्र चौथमल हिस्सा 1/2 2. महावीर पुत्र चौथमल हिस्सा 1/2 जाति पासवान अंकित है। कृषि भूमि खाता संख्या नया 252 पुराना 88 की कृषि भूमि ख०सं० 1159/672 रकबा 0.3237 हे० एवं ख०सं० 1174/718 रकबा 0.6718 हे0 वाके ग्राम अजेता पटवार हल्का अजेता तहसील व जिला बून्दी मे स्थित है जिसमें 1. भंवर सिंह पुत्र चौथमल हिस्सा 1/2 जाति दरोगा 2. महावीर पुत्र चौथमल हिस्सा 1/2 जाति दरोगा अंकित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो पूर्व मे मेरे पिता चौथमल पिता अणदा कोम पासवान के नाम से अंकित चली आ रही थी। इस उक्त वर्णित कृषि भूमि भी वादीगण की पैतृक है। जो चौथमल पिता अणदा कोम दरोगा के नाम से अंकित चली आ रही थी। वादीगण दोनो सगे भाई है तथा दोनो की जाति राजपूत है। माननीय सहायक जिला कलेक्टर एवं कार्यपालक मजि0 बून्दी द्वारा वादी क्रम—1 का मूल निवास प्रमाण पत्र दि० 19—8—2000 जारी किया हुआ है। वादी क्रम—2 का आधार बना हुआ है जिसमे महावीर सिंह आत्मज [illegible] वादीगण के पिता स्वर्गीय चौथमल जी का स्वर्गवास दिनांक 3—6—2021 [illegible] । उसके देहान्त होने के पश्चात उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियान का इंतकाल [illegible] दि० [illegible]9—3—2018 द्वारा अंकित की गई है। तत्कालीन राजस्वकर्मी [illegible] राजस्व मे वादीगण को कोई सूचना नही दी [illegible] बिना सूचना [illegible] चरण 1 मे वर्णित भूमि मे वादीगण की जाति पासवान तथा [illegible] दरोगा अंकित कर दी जबकि वादीगण की जाति [illegible] तत्कालीन राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त नामान्तरकरण वादीगण को सूचना [illegible] खोला गया है इसलिए राजस्व कर्मचारियो द्वारा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे उक्त [illegible] कृषि भूमियान मे पृथक पृथक जाति अंकित त्रुटिवश व लिपिकीय भूल की है। वादीगण की जाति राजपूत है जिसके बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि राजस्व कर्मियो द्वारा बिना सूचना दिये इन्तकाल खोला गया है इसलिए उक्त प्रमाण—पत्र का अवलोकन नही किया गया था। इस कारण उक्त त्रुटि हुई है। वादीगण द्वारा इत्यादि अंकित कर निवेदन किया कि कि वादी का वाद स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:56:13 IST
Reason: SelfAttested

जाकर डिक्री किया जावें। वादीगण की जाति राजपूत होने की घोषणा की जाकर चरण क्रम 1 व 2 में अंकित पासवान व दरोगा के स्थान पर संशोधन किया जाकर जाति राजपूत अंकित किये जाने का निर्णय व डिक्री प्रदान की जावें। अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

उक्तानुसार वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, रायथल से जांच एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार, रायथल द्वारा जरिये पत्रांक भू0अ0/2024/4224 दिनांक 12.12.2024 से अवगत कराया कि ग्राम अजेता के खसरा संख्या 312 रकबा 0.5665 है० एवं खसरा संख्या 1159/672 रकबा 0.3237 है० तथा खसरा संख्या 1174/718 रकबा 0.6718 हैक्टेयर में खातेदार/सहखातेदार भँवरसिंह, महावीर पि० चौथमल की जाति दरोगा व पासवान के स्थान पर जाति राजपूत दर्ज करवाना चाहता हैं। उक्त खसरा नम्बरों में सेटलमेन्ट के समय से ही वादीगण एवं उनके पिता की जाति दरोगा व पासवान ही दर्ज रेकार्ड हैं। ग्राम अजेता नामान्तरण संख्या 1407 दिनांक 09.03.2015 से विरासत् के नामा० से केवल वारिसान के नाम दर्ज रेकार्ड हुये हैं तथा जाति में पटवारी के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया तथा पुराने राजस्व रेकार्ड के अनुसार ही वर्तमान में जाति दर्ज रिकार्ड है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीगण की ओर से वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि हमारी सही जाति राजपूत हैं किन्तु लिपिकीय त्रुटिवश राजस्व कार्मिकों ने राजस्व रेकार्ड में दरोगा एवं पासवान अंकित की हुई हैं। हमारे सभी दस्तावेजों में हमारी जाति राजपूत अंकित हैं। वादीगण की जाति दस्तावेज से भिन्न अंकित किये जाने से वादीगण को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो गई है इसलिए उक्त वर्णित भूमियों के जमाबंदी व अधिकार अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती कर पासवान व दरोगा के स्थान पर संशोधन किया जाकर जाति राजपूत अंकित किया जाना आवश्यक हैं। चूंकि पासवान व दरोगा पद नाम हैं। उक्त दोनो मूल रूप से जाति राजपूत के तहत आते हैं। अतः निवेदन हैं कि हमारा वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में हमारी जाति राजपूत अंकित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा बहस पर मनन किया व पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। मुताबिक जमाबंदी ग्राम अजेता तहसील रायथल जिला बून्दी सम्वत् 2076 के खाता संख्या 251 पुराना 85 के खसरा संख्या 312 रकबा 0.5665 किस्म बारानी तृतीय व खाता संख्या 252 पुराना 88 के खसरा संख्या 1159/672 रकबा 0.3237 है0 किस्म नहरी द्वितीय, खसरा संख्या 1174/718 रकबा 0.6718 है0 किस्म नहरी द्वितीय कुल किता 2 कुल रकबा 0.9955 है0 में वादीगण की जाति क्रमशः दरोगा व पासवान अंकित दर्ज रेकार्ड हैं। तहसीलदार, रायथल द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार वादीगण की जाति किसी भी स्तर पर लिपिकीय त्रूटिवश परिवर्तित नहीं की गई हैं। वादीगण को उक्त भूमि विरासतन् प्राप्त हुई हैं। पुराने राजस्व रेकार्ड के अनुसार ही वर्तमान में जाति दर्ज रेकार्ड हैं। वादीगण की ओर से पत्रावली में जाति के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत दस्तावेज रेकार्ड से संबंधित नहीं हैं व बनावटी हैं। वादीगण की ओर से पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं जिससे प्रमाणित हो कि राजस्व रेकार्ड में वादीगण की वास्तविक जाति राजपूत अंकित थी और वह सहवन से या लिपिकीय त्रूटिवश दरोगा व पासवान अंकित हो गई हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद रेकार्ड व साक्ष्य से प्रमाणित न होने के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं हैं।

अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को सरेइजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:56:13 IST
Reason: SelfAttested

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी